

१९/१/२९
13/10/20

वकील पदकारान डप० । अधिवक्ता पदकारान द्वारा धारणा
पत्र पर बहस श्रवण करने का निवेदन किया निवेदन
स्वीकार किया जाकर १९/१/२९ पत्र पर बहस श्रवण की गई
दौराने बहस अधिवक्ता जर्जी ने निवेदन किया की
राजस्व ग्राम तुलना की श्रुति खसरा नं. 1039 रकबा
0.02 है, खसरा नं. 1607/1038 रकबा 0.41 है.
खसरा नं. 1608/1039 रकबा 2.82 है। भूमि में
खातेदारी की है मितका जर्जी के हाथ बटवारा
पाए गया है जिसके कारण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
को लागू किया जावे। जिस पर अधिवक्ता जर्जी
द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि समुक्त
खातेदारी की है अतः समुक्त खातेदारों भूमि छोटे
के कारण समुक्त खातेदारों को अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा से वाकद नहीं किया जा सकता।
बहस श्रवण की गई पत्रावली का उपलोकन
किया गया उक्त भूमि समुक्त खातेदारी की
भूमि छोटे के कारण समुक्त खातेदारों के विरुद्ध
अस्थाई निषेधाज्ञा से वाकद नहीं किया जा सकता।
जर्जी का प्रत्यक्ष लाकरीन होमे के कारण
खातेदारी किया जाकर पत्रावली फलतः सुभाए होकर
नाबालके काम है दाखिल करते हैं।

अधिवक्ता अधिकारी विभाग